

संख्या-2314/81-2-2022-800(52)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 29 नवम्बर 2022

विषय- उपशा द्वारा पुखरायों-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस0एच0-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2056 वृक्षों के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.00 से 54.00 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी व 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/17826/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8 बी/यूपी/06/44/2017/एफसी/48 दिनांक 20.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-725/11-सी/एफपी/यूपी/रोड/17826/2016 दिनांक 29.08.2022 द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 29.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by आशीष तिवारी भवदीय,

Date: 29-11-2022 10:37:33

Reason: Approved (आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव